निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 फाल्गुन 1935 (शo)

(सं0 पटना 266) पटना, सोमवार, 10 मार्च 2014

सं० एम-4-35/2013—2251/वि०

वित्त विभाग

संकल्प

7 मार्च 2014

विषय :—राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी सेवकों को गृह निर्माण अग्रिम उपलब्ध कराने की वर्त्तमान व्यवस्था के अतिरिक्त गैर सरकारी शिड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों के माध्यम से गृह निर्माण अग्रिम उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

राज्य सरकार के सेवीवर्ग को गृह निर्माण अग्रिम की स्वीकृति सरकार के संकल्प सं0-420 दिनांक 21-01-2000 तथा संकल्प सं0 809 दिनांक 22-05-2006 में निहित प्रावधानों के अनुसार दी जाती है । गृह निर्माण अग्रिम स्वीकृत करने हेतु राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष अपने बजट में राशि का उपबंध करती है ।

2. राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्य सरकार के सेवीवर्ग को गृह निर्माण ऋण तथा अन्य प्रकार के ऋणों की स्वीकृति के विषय पर विचार की अनुशंसा की थी कि बैंकों के माध्यम से यह कार्य बड़ी आसानी से एवं कहीं व्यापक ढंग से सम्पन्न कराया जा सकता है क्योंकि बैंक शाखायें प्रायः हर स्तर पर उपलब्ध है । राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का मत था कि राज्य सरकार की भूमिका इस क्षेत्र में मात्र मददगार (Facilitator) की हो । राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा

के आलोक में राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से राज्य के सेवी वर्गों को गृह निर्माण की ऋण की सुविधा प्राप्त है ।

3. राष्ट्रीयकृत बैंकों के अतिरिक अन्य गैर सरकारी शिड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों को भी इस योजना में शामिल किया जाता है ।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजीव हंस,

सचिव (व्यय)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 266-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in